

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 27.12.2025

पशु तस्करी का अपराध कारित करने वाले शातिर अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खोराबार द्वारा गैंग लीडर रामलखन व गैंग के अन्य सदस्य 1.कमलेश गौड़, 2.बृजभूषण सिंह उर्फ मोनू बाबा, 3.आनन्द कुमार उर्फ मोहन, 4.आशुतोष, 5.राज निषाद उर्फ राजकुमार, 6.संदीप सिंह, 7.शुभम चौहान, 8. अंकित गौड़, 9.गोविन्द कुमार, 10.विकास मिश्रा व 11. अमित चौहान के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी थी। उक्त गैंग का लीडर रामलखन उपरोक्त अपने गिरोह के सदस्य के साथ मिलकर पशु-तस्करी जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर रामलखन व गैंग के अन्य सदस्य 1.कमलेश गौड़, 2.बृजभूषण सिंह उर्फ मोनू बाबा, 3.आनन्द कुमार उर्फ मोहन, 4.आशुतोष, 5.राज निषाद उर्फ राजकुमार, 6.संदीप सिंह, 7.शुभम चौहान, 8. अंकित गौड़, 9.गोविन्द कुमार, 10.विकास मिश्रा व 11. अमित चौहान के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 722 /2025 धारा 2(ख)(xi),2(ख)(xvii)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया था। प्रकाश में आये अन्य अभियुक्त जवाहिर यादव पुत्र दुखी यादव निवासी विशुनपुरा बुजुर्ग थाना जटहा बाजार जनपद कुशीनगर हा.मु. दवनहा थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार, के विरुद्ध पूरक गैंगचार्ट प्रेषित किया गया था। जिसपर श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदनोपरान्त मु0अ0सं0 722 /2025 धारा 2(ख)(xi),2(ख)(xvii)/3(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं क्रिया कलाप निवारण अधि0 में अभियुक्त जवाहिर का नाम समाहित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

जवाहिर यादव पुत्र दुखी यादव निवासी विशुनपुरा बुजुर्ग थाना जटहा बाजार जनपद कुशीनगर हा.मु. दवनहा थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार

आपराधिक इतिहास

1. मु.अ.सं. 63/24 धारा 3(1) यू.पी. गैंगस्टर एक्ट थाना को0 पड़रौना कुशीनगर
2. मु.अ.सं. 146/24 धारा 3/5ए/8 गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना को0 पड़रौना कुशीनगर
3. मु.अ.सं. 230/20 धारा 379 भा.द.सं. थाना को0 पड़रौना कुशीनगर
4. मु.अ.सं. 255/23 धारा 3/5ए/8 गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना को0 पड़रौना कुशीनगर
5. मु.अ.सं. 275/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 पड़रौना कुशीनगर
6. मु.अ.सं. 276/22 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट थाना को0 पड़रौना कुशीनगर
7. मु.अ.सं. 326/24 धारा 3(1) यू.पी. गैंगस्टर एक्ट थाना को0 पड़रौना कुशीनगर
8. मु.अ.सं. 391/23 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट थाना को0 पड़रौना कुशीनगर
9. मु.अ.सं. 5/18 धारा 379/411 भा.द.सं. थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

10. मु.अ.सं. 15/18 धारा 379/411 भा.द.सं. थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
11. मु.अ.सं. 20/18 धारा 461 भा.द.सं. थाना नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर
12. मु.अ.सं. 569/21 धारा 3/5ए/8 गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रूरता अधि० व 429 भा.द.सं. थाना को० पड़रौना कुशीनगर
13. मु.अ.सं. 21/18 धारा 323, 365, 379 भा.द.सं. थाना नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर
14. मु.अ.सं. 19/18 धारा 379/411 भा.द.सं. थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
15. मु.अ.सं. 20/18 धारा 379/411 भा.द.सं. थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
16. मु.अ.सं. 12/18 धारा 380/457 भा.द.सं. थाना हनुमानगंज कुशीनगर
17. मु.अ.सं. 15/18 धारा 395 भा.द.सं. थाना हनुमानगंज कुशीनगर
18. मु.अ.सं. 27/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हनुमानगंज कुशीनगर
19. मु.अ.सं. 48/18 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना हनुमानगंज कुशीनगर
20. मु.अ.सं. 378/16 धारा 3/5ए/8 गोवध नि.अधि. व 307 भा.द.सं. थाना को० हाटा कुशीनगर
21. मु.अ.सं. 84/18 धारा 379 भा.द.सं. थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
22. मु.अ.सं. 192/23 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना घुघली जनपद कुशीनगर
23. मु.अ.सं. 254/21 धारा 147, 148, 149, 307, 353, 427 भा.द.सं. थाना शाहपुर गोरखपुर
24. मु.अ.सं. 256/21 धारा 147, 148, 149, 307, 326बी, 353 भा.द.सं. थाना शाहपुर गोरखपुर
25. मु.अ.सं. 216/18 धारा 307, 419, 420, 467, 468, 471 भा.द.सं. व 11(2) पशु क्रूरता अधि० थाना घुघली कुशीनगर
26. मु.अ.सं. 335/21 धारा 3/5ए/8 गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रूरता अधि. थाना खोराबार गोरखपुर
27. मु.अ.सं. 446/25 धारा 310(4) बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना एम्स जनपद गोरखपुर
28. मु.अ.सं. 447/25 धारा 109(1), 3(5) बी.एन.एस. व 3/25/27 एर्म्स एक्ट थाना एम्स गोरखपुर
29. मु.अ.सं. 443/25 धारा 3/5ए/8 गो० वध नि० अधि० व 11 पशुक्रूरता अधि० व 3(5), 111 बी.एन.एस थाना खोराबार जनपद गोरखपुर